



न्यायालय-राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर कॅम्प सागर

इ. निगरानी) सागर) भू. 21/2017/3178

1. ऋषि कुमार दुबे पिता छोटे लाल
2. विनोद कुमार दुबे पिता छोटे लाल
3. नीरज दुबे पिता रामकुमार

सभी निवासी-नेगवां, तह0-शाहगढ़, जिला-सागर (म0प्र0)

.....पुनरीक्षणकर्ता / आवेदकगण

// बनाम //

म0प्र0 शासन द्वारा:-

1. श्रीमान् राजस्व निरीक्षक शाहगढ़; तह0 शाहगढ़
2. श्रीमान् हल्का पटवारी, ह0नं0-20 शाहगढ़
3. कृष्ण कुमार तिवारी ← पिता मातादीन तिवारी
4. रामवतार तिवारी ← निवासी-नेगुंवा, तह0 शाहगढ़

.....अनावेदकगण

पुन0प्र0क्रं0- / 17

तारीख प्रस्तुती- 0 / 08 / 2017

पुनरीक्षण आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0मू0रा0सं0-1959

आवेदकगण की ओर से प्रार्थना है:-

आवेदकगण अधीनस्थ अधिकारी श्रीमान् राजस्व निरीक्षक एवं पट0ह0नं0-20 शाहगढ़ द्वारा किये गये सीमांकन रा0प्र0क्रं0-24/अ-12 वर्ष 2016-17 आदेश दिनांक-16/06/2017 से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण आवेदन-पत्र निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करते हैं:-

-:संक्षिप्त विवरण:-

1. यह कि:- अनावेदक क्रमांक-03 एवं 04 एवं रामवतार के आवेदन-पत्र पर ग्राम मौजा-अमरमऊ, प.ह.नं.-20, रा.नि.मं.-शाहगढ़ द्वारा खसरा

79  
अति कर्म  
समू - अ/न-916  
पुनरीक्षण  
B.O.R. म/8  
07 AUG 2017  
175  
28/08/17

श्री प्रदीप जैन, अधीन  
पट्टा जिला सागर प्रस्तुत.  
अधीनस्थ  
कार्यालय कनिश्चर, सागर संभाग,  
सागर (म. प्र.)

17/8/17

विनोद दुबे

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2017/3178

ऋषि कुमार दुबे आदि विरुद्ध म.प्र. शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी हल्का नम्बर-20 के प्रकरण क्रमांक 24/अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 16-06-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 11-09-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(जे०के० जैन) सदस्य</p>